GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO: 69
TO BE ANSWERED ON 08.02.2021

Providing arms to forest guards and rangers

69. SHRI PRABHAKAR REDDY VEMIREDDY:

Will the Minister of ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE be pleased to state:

(a) the details of States which are providing arms to forest guards and rangers;
(b) whether according to a report more than thirty per cent of world's fatal attacks on rangers took place in India;
(c) whether the Ministry, as suggested by Supreme Court, proposes to create a separate wing in the Enforcement Directorate to check wildlife trafficking, timber mafia, poachers and forest encroachers; and
(d) if so, the details thereof?

ANSWER
MINISTER FOR ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
(SHRI PRAKASH JAVADEKAR)

(a) to (d) The Statement is laid on the table of the House.

***

STATEMENT REFFERED TO RAJYA SABHA STARRED Q. NO. 69 DUE FOR REPLY ON 08.02.2021 REGARDING PROVIDING ARMS TO FOREST GUARDS AND RANGERS ASKED BY SHRI PRABHAKAR REDDY VEMIREDDY

(a) As per information received from the States and Union Territories (UTs),the States/UTs of Andaman and Nicobar Islands, Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Chandigarh, Chhattisgarh, Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Odisha, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Tripura, Uttar Pradesh, Uttarakhand and West Bengal have provided arms to different levels of frontline staff including forest guards and forest rangers. In the State of Manipur procurement of arms is under process.

(b) No such official report is available with the Ministry.
There is a non-official global forum namely International Ranger Federation which publishes Roll of Honour every year enlisting deaths of Rangers naturally or otherwise. This report has not been authenticated/verified by the Government.

Range Officers are the frontline forest officers who fearlessly protect our forest and wildlife and fight with wildlife poachers, timber smugglers and encroachers. It is true that in this commendable effort to protect our forest and wild life they have laid down their lives. Their martyrdom and effortshave been acknowledged for the first time at the national level and 25 forest staff have been given the certificate of recognition posthumously on the Forest Martyrs Day on 11 September 2020.

(c) &(d) In the order by Hon'ble Supreme Court in I.A. No. 941/2021 and Interlocutory Application Nos. 94310, 94313 and 94317/2020 dated 08.01.2021, there is no specific direction to the Ministry in this regard.

For the purpose of fighting wildlife crime and trafficking, the Wildlife Crime Control Bureau under the Ministry is empowered to collect and collate intelligence related to organized wildlife crime and coordinate action by various officers, State Governments and other authorities.

******

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. *69

08.02.2021 को उत्तर के लिए

वन रक्षकों और रेंजरों को हथियार प्रदान किया जाना

*69 **श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी :**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वन रक्षकों और रेंजरों को हथियार प्रदान करने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में रेंजरों पर होने वाले घातक हमलों के तीस प्रतिशत से अधिक मामले भारत में हुए हैं;

(ग) क्या मंत्रालय का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सुझाव के अनुरूप वन्यजीवों की तस्करी, टिंबर माफिया, शिकारियों और वन अतिक्रमणकारियों पर लगाम लगाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय में एक अलग स्कंध बनाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री

(श्री प्रकाश जावडेकर)

(क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

*****

'वन रक्षकों और रेंजरों को हथियार प्रदान किए जाने' के संबंध में श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी द्वारा दिनांक 08.02.2021 को उत्तर के लिए पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. *69 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) से प्राप्त सूचना के अनुसार, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, असम, चंडीगढ़ छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव, गोआ, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वन रक्षकों और वन रेंजरों सहित विभिन्न स्तरों के फ्रंटलाइन स्टाफ को अस्त्र-शस्त्र उपलब्ध कराए गए हैं। मणिपुर राज्य में अस्त्र-शस्त्र की खरीद की प्रक्रिया चल रही है।

(ख) मंत्रालय के पास ऐसी कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं है। इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन नाम का एक गैर-सरकारी वैश्विक फोरम है, जो रेंजरों की स्वाभाविक रूप से या अन्य कारणों से होने वाली मौतों को सूचीबद्ध करके प्रति वर्ष 'रॉल ऑफ ऑनर' प्रकाशित करता है। इस रिपोर्ट को सरकार द्वारा प्रमाणित/सत्यापित नहीं किया गया है।

रैंज अधिकारी फ्रंटलाइन वन अधिकारी होते हैं जो निर्भय होकर हमारे वनों एवं वन्यजीवों की रक्षा करते हैं और वन्यजीवों का अवैध शिकार करने वाले लोगों, इमारती लकड़ी के तस्करों और अतिक्रमण करने वाले लोगों के साथ लड़ते हैं। यह सच है कि हमारे वनों एवं वन्यजीवों को संरक्षित करने के इस सराहनीय प्रयास में उन्होंने अपने जीवन की कुर्बानियां दी हैं। उनकी शहादत और उनके प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार स्वीकार किया गया है और दिनांक 11 सितंबर, 2020 को वन शहीद दिवस के अवसर पर 25 वन स्टाफ को मरणोपरांत मान्यता प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए हैं।

(ग) और (घ) वादकालीन आवेदन (आई.ए.) सं. 941/2021 और वादकालीन आवेदन सं. 94310, 94313 और 94317 / 2020 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 08.02.2021 के आदेश में, इस संबंध में मंत्रालय को कोई विनिर्दिष्ट निदेश नहीं दिया गया है।

वन्यजीव अपराध और अवैध व्यापार से निपटने के प्रयोजन से, मंत्रालय के अधीन वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को संगठित वन्यजीव अपराध से संबंधित आसूचना को एकत्र करने तथा मिलाने और विभिन्न अधिकारियों, राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकरणों द्वारा की गई कार्रवाई में समन्वय स्थापित करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

*****